बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6ए0/प्रा0–1034/2018 – 1190 पटना – 15 ,दिनांक :– 12/6/18 .

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय –राज्य योजना अन्तर्गत मधुबनी जिला अन्तर्गत पूर्व से निर्मित 11 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाएँ यथा बलिया बेलाम, रहिका, सौराठ, पंडौल, राजनगर, मधवापुर, मलमल दक्षिण, बसैठ, सकरी, सिमरी एवं अरेर योजनाओं में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु योजनावार योजना की स्वीकृति।

आदेश – राज्य योजना अन्तर्गत मधुबनी जिला अन्तर्गत पूर्व से निर्मित 10 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाएँ यथा बलिया बेलाम, रहिका, सौराठ, पंडौल, राजनगर, मधवापुर, मलमल दक्षिण, बसैठ, सकरी, सिमरी एवं अरेर में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु योजनावार योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना अन्तर्गत मधुबनी जिला के निम्न ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत पाईप लाईन का विस्तार एवं इससे आच्छादित वार्डो में गृह जल संयोजन का कार्य कर संतृप्त किया जाना है इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजनावार राशि एवं वार्ड निम्नवत् हैं :–

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का नाम	वार्ड संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	मधुबनी	मधुबनी	बलिया बेलाम	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12	58.005
2	मधुबनी	मधुबनी	रहिका	3, 4, 6, 7, 10, 13 एवं 14	70.519
3	मधुबनी	मधुबनी	सौराठ	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14	56.373
4	मधुबनी	मधुबनी	पंडौल	3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14 एवं 15	62.834
5	मधुबनी	मधुबनी	राजनगर	6, 7, 8, 14 एव 15	60.534
6	मधुबनी	मधुबनी	मधवापुर	1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7	70.388
7	मधुबनी	मधुबनी	मलमल दक्षिण	1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 एवं 17	71.402
8	मधुबनी	मधुबनी	बसैठ	6, 7, 8, 10, 11 एवं 12	77.636
9	मधुबनी	मधुबनी	सकरी	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8	61.379
10	मधुबनी	मधुबनी	अरेर	11, 12 एवं 13	43.468
11	मधुबनी	मधुबनी	सिमरी	6, 7, 8, 9, 10 एवं 11	65.62
	कुल राशि				**698.158**

3. इन योजनाओं के मुख्य अवयव पाईप लाईन का विस्तार, पाँच वर्ष के लिए संचालन एवं रख–रखाव (विद्युत ऊर्जा पर व्यय सहित) तथा कॉलम–5 में अंकित वार्डो में गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0106–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215011020106 – विषय शीर्ष – 0106.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण तथा (II) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0104– मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017890104 – विषय शीर्ष – 0104.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मधुबनी होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी मधुबनी कोषागार से की जायेगी / बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

8. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के सेकल्प संख्या – एम4–53/2007/3758 /वि0 दिनांक – 31–05–17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

9. वर्ष 2018–19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11/6/17

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 6ए0/प्रा0–101/2018 – 1190 पटना – 15 ,दिनांक :– 12/6/18

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, मधुबनी / कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा – 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11/6/17

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव